सार्वजनिक पार्किंग में चार्ज किए जा सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों को चार्जिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए पार्किंग नीति में बदलाव करने जा रही है। नई नीति में पार्किंग स्थल पर ई-वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा या बैटरी की अदला-बदली के भी इंतजाम किए जाएंगे।

वर्तमान में जो पार्किंग नीति है उसके मुताबिक सार्वजनिक पार्किंग स्थानों का इस्तेमाल केवल वाहनों को खड़ा करने के लिए होता है। किसी विशेष प्रयोजन यानी गाड़ी की धुलाई-पोछाई या कोई दूसरे काम के लिए गाड़ियां खड़ी करने का कोई प्रविधान नहीं है। अब सरकार बदलती जरूरतों के मुताबिक इसमें बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्किंग का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए भी हो सकेगा। सूत्रों के अनुसार पार्किंग में वाहनों की चार्जिंग या बैटरी की अदला बदली की सुविधा देने के लिए स्थान तय करने का अधिकार निकायों को दिया जा सकता है। वे ही सार्वजनिक पार्किंग में जगह की उपलब्धता के आधार पर इसकी व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा भविष्य में जो नई पार्किंग बनेंगी, उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग या बैट्री स्वैपिंग की व्यवस्था अनिवार्य की जा सकेगी। अभी विभाग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पालिसी के मुताबिक की जाने वाली व्यवस्थाओं का आकलन कर रहा है।

चार्जिंग स्टेशन के लिए लीज पर दी जाएगी जमीन

नगर विकास विभाग चार्जिंग स्टेशन के लिए लीज पर जमीन देने की व्यवस्था कर चुका है। पीपीपी माडल पर इन्हें चलाया जाएगा। ये पट्टे 10 वर्षों के लिए किए जाएंगे। इसके अलावा चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को जल्द विकसित करने के लिए कार्यकारी समूह का भी गठन किया गया है।